

अंचल अधिकारी का कार्यालय, छत्तरपुर (पलामू)

आदेश-फलक

(विविध वाद सं०- 01/2022-23)

केस का प्रकार- (पंजी-11 में नाम दर्ज करने से संबंधित)

तिथि

पदाधिकारी आदेश

अभियुक्ति

1

2

3

9.3.2022

आवेदक मुखदेव यादव पिता स्व० बंशी महतो मौजा-कचनपुर, थाना-छत्तरपुर द्वारा आवेदन पत्र दायर कर अनुरोध किया गया है कि ग्राम-कचनपुर के खाता सं०-13, रकबा- 1.96 ए० भूमि का मांग मेरे पिता बंशी महतो के नाम से मांग पंजी-11 के पृष्ठ सं०-258/ II पर चलता है। यह मेरी रैयती भूमि है, जिसके सर्वे रैयत गोविन्द महतो वल्द दीपा महतो है। गोविन्द महतो के दो पुत्र तुलसी महतो एवं बंशी महतो है लेकिन जमाबंदी में तुलसी महतो का नाम दर्ज नहीं है। मेरे पिता के नाम से कायम जमाबंदी में मेरे चाचा तुलसी महतो का नाम दर्ज कर दिया जाय। आवेदन पत्र जाँच हेतु संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक को हस्तागत कराये तथा जाँच प्रतिवेदन की मांग प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक

11.04.2022

को उपस्थापित करें।

-भूमि का विवरण:-

जमाबंदीधारी का नाम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	लगान	पेज नं०/भोलुम नं०
बंशी महतो पिता गोविन्द महतो	13	-	1.96	4.00 रु०	258/ II


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

11.4.2022

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन "जो प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है" का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम-कचनपुर का खाता सं०-13 गत सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाता की भूमि है जिसके सर्वे रैयत गोविन्द महतो वल्द दीपा महतो है। गोविन्द महतो के दो पुत्र तुलसी महतो एवं बंशी महतो है। लेकिन मांग पंजी-11 में पृष्ठ सं०-258/II पर सिर्फ बंशी महतो पिता गोविन्द महतो के नाम से खाता सं०-13 एवं 01, रकबा-4.42 एकड़ का मांग चल रहा है। लेकिन जमाबंदी के खाता सं०-01 के संबंध में आवेदक का कथन है कि मेरे पिता बंशी महतो के नाम से कायम जमाबंदी में खाता सं०-01 की प्रविष्टि गलत है। यह गै०मा० खाता की भूमि है जिसका कोई भी दस्तावेज मेरे पास

उपलब्ध नहीं है। उक्त जमाबंदी में खाता सं०-०१, रकबा-२.४६ को घटाकर शेष खाता सं०-१३ रकबा-१.९६ एकड़ भूमि की जमाबंदी में मेरे चाचा तुलसी महतो का नाम दर्ज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन जो अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है के आलोक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु एक आम इस्तेहार निर्गत करें तथा दोनो पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें

अभिलेख दिनांक १०.५.२०२२ को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

१०.५.२२ अभिलेख उपस्थापित।

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन २०२२ में निर्वाची पदाधिकारी (मुखिया पद) के रूप में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।

अभिलेख दिनांक ११.६.२२ को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

११.६.२२ अभिलेख उपस्थापित।

उप मुखिया के अप्रत्यक्ष चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी के रूप में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।

अभिलेख दिनांक १२-७-२०२२ को रखें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

१२.७.२२ अभिलेख उपस्थापित।

NH-९८ से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।

अभिलेख दिनांक २१.९.२०२२ को रखें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

२३/०९/२०२२ अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तेहार का विधिवत् प्रकाशन के पश्चात तामिला प्रतिवेदन वापस आया। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के पश्चात किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुआ है। निर्धारित तिथि पर दोनो पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदक मुखदेव यादव द्वारा बताया गया कि जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम-कचनपुर का खाता सं०-१३ गत सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाता की भूमि है जिसके सर्वे रैयत गोविन्द महतो वल्द

दीपा महतो है। गोविन्द महतो के दो पुत्र तुलसी महतो एवं बंशी महतो है। लेकिन मांग पंजी-II में पृष्ठ सं०-258/II पर सिर्फ बंशी महतो पिता गोविन्द महतो के नाम से खाता सं०-13 एवं 01, रकबा-4.42 एकड़ का मांग चल रहा है। लेकिन जमाबंदी के खाता सं०-01 के संबंध में आवेदक का कथन है कि मेरे पिता बंशी महतो के नाम से कायम जमाबंदी में खाता सं०-01 की प्रविष्टि गलत है। यह गै०मा० खाता की भूमि है जिसका कोई भी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। उक्त जमाबंदी में खाता सं०-01, रकबा-2.46 को घटाकर शेष खाता सं०-13 रकबा-1.96 एकड़ भूमि की जमाबंदी में मेरे चाचा तुलसी महतो का नाम दर्ज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच इस भूमि को लेकर व्यवहार न्यायालय में टाईटलसूट चल रहा था जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। गोविन्द महतो के नाम से खाता सं०-13 एवं 01, रकबा-4.42 एकड़ का मांग चल रहा है। लेकिन जमाबंदी के खाता सं०-01 के संबंध में आवेदक का कथन है कि मेरे पिता बंशी महतो के नाम से कायम जमाबंदी में खाता सं०-01 की प्रविष्टि गलत है। यह गै०मा० खाता की भूमि है जिसका कोई भी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। उक्त जमाबंदी में खाता सं०-01, रकबा-2.46 को घटाकर शेष खाता सं०-13 रकबा-1.96 एकड़ भूमि की जमाबंदी में मेरे चाचा तुलसी महतो का नाम दर्ज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एवं भोला यादव पिता स्व० तुलसी यादव तथा मुखदेव यादव पिता बंशी यादव व० अनिल यादव व० सुनिल यादव पिता स्व० रामदेव यादव के हुए समझौता (समझौता पत्र की छाया प्रति अभिलेख के साथ संलग्न) के आधार पर ग्राम-कचनपुर के मांग पंजी-II के पृष्ठ सं०-258/II पर बंशी महतो के नाम से कायम जमाबंदी खाता सं०-13 एवं 01 रकबा-4.42 एकड़ का संशोधित जमाबंदी खाता सं०-खाता सं०-13, प्लॉट सं०-116, 117, 118, 120, 122, रकबा क्रमशः 0.02 ए०, 1.17 ए०, 0.21 ए०, 0.55 ए० एवं 0.01 ए० कुल 1.96 एकड़ भूमि में तुलसी महतो पिता गोविन्द महतो का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।

आम इस्तेहार

चूँकि हर आम वो खास को सूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

मुरवदेव यादव — पिता/पति स्व. वंशी मंडरा

साठ छत्तरपुर थाना छत्तरपुर जिला पटना

के रहने वाले के नाम से नीचे लिखे भूमि म. मुरवदेव यादव विराजित है

कानून

होने जा रहा है। जिस किसी को आपत्ति हो तो दिनांक 10-05-2022

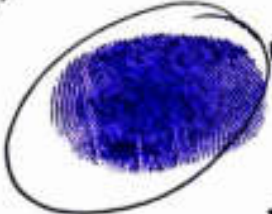
तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना आपत्ति पत्र दाखिल करें। समय गुजरने पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसे सख्त ताकिद जाने।

—भूमि का विवरण:—

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा (ए० में)	किस्म
<u>छत्तरपुर</u>	<u>13</u>	<u>—</u>	<u>1.36</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>




11/05/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर

 म. मुरवदेव यादव
अनिम कुं



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 60d2c23455eafa30f4ef

Receipt Date : 27-Jun-2022 01:11:40 pm

Receipt Amount : 20/-

Amount In Words : Twenty Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Palamu

Stamp Duty Paid By : BHOLA YADAV

Purpose of stamp duty paid : FOR AGREEMENT

First Party Name : BHOLA YADAV

Second Party Name : MUKHDEV YADAV ANIL YADAV SUNIL YADAV

GRN Number : 2211872693

:- This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

समझौता सः सहमति पत्र दिनांक 27.06.2022

प्रथम पक्ष भोला यादव पिता स्व. तुलसी यादव एवं द्वितीय पक्ष मुखदेव यादव पिता स्व. पिता स्व. वंशी यादव एवं अनिल यादव, सुनील यादव पिता स्व. शमदेव यादव दोनों पक्ष आम



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

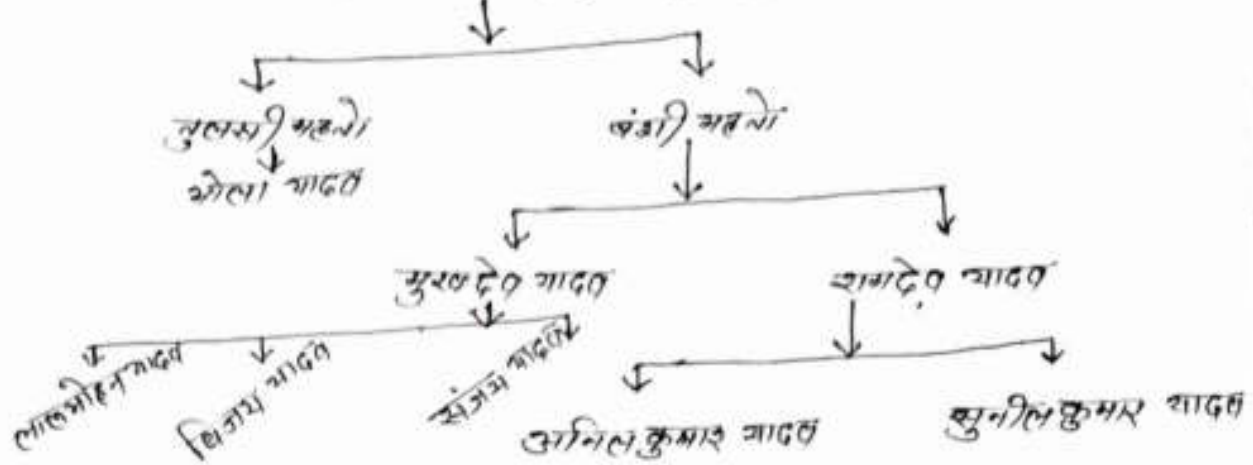
इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

कचनपुर पंचायत कचनपुर बोलो कला अंचल उत्तरपुर जिला
पोस्ट कचनपुर जिला बलामु कारखाना राज्य के मिलायी है।
यह है कि बाला नम्बर 13 रलीट-

नम्बर 116, 117, 118, 120, 122 रकबा 0.02, 1.17, 0.21, 0.55
0.01 कुल रकबा 1.96. सर्वे डेथन गोविन्द महतो के नाम
पर डिमांड पल रहा है जिसमें दो भाई हैं।

वंशावली

सर्वे डेथन गोविन्द महतो



कुल रकबा 1.96. रकबा 0.98 डी० बोला गादत पिता स्व
तुलसी गादत एवं 0.98 डी० मुरवदेव गादत एवं अनिल कुमार गादत
सुनील कुमार गादत का होना है जो प्रथम पक्ष बोला गादत पिता
स्व तुलसी गादत के वंशज बापथ लेना है कि डिमांड में नाम -
जोड़ने के पश्चात अंगी सम्बन्धित पाद पिता या देवा नहीं मंगला
हमलोग दोनों पक्ष आपसी सहमति बनाकर पंजी II में तुलसी
महतो के नाम जोड़ दिया गया जो हिलिय पक्ष को कोई आपत्ति
नहीं है। 05.11.2019 डेस नम्बर 13 रली भी परिसन्धि में पाद
नहीं करेगे।

उपस्थ

① मुरवदेव कचनपुर
27.06.22.

② राजेश कुमार गादत कचनपुर

③ संजय गादत कचनपुर

④ विजय गादत

⑤ राजेश कुमार

सरस्वती देवी

जलपान देवी
नं. 14 पंचायत कचनपुर
प. 1008 उत्तरपुर पतन
27.06.2022

हिलिय पक्ष
अनिल कुमार गादत
सो. 7292998094
विजय गादत
सो. 7632092819

प्रथम पक्ष
वि. 05.11.2019
सो. 9631913716

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION-I, DALTONGANJ
OS 115/2019

Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office note taken with fee
1	07.04.22	Record placed before me for perusal. A withdrawal petition dt. 07.04.2022 has been filed by the plaintiffs and on the same day a recall petition has also been filed for recall of date as the date of the present record is fixed on 10.05.2022 for W.S. Ld Counsel for the plaintiffs has pressed both petitions and submitted that the plaintiffs want to withdraw the present suit as both parties have already settled the matter/dispute between them out of the court. Perused the record. It appears that instant suit has been filed for partition and parties as for now have amicably settled the matter outside court. A conditional withdrawal has been filed by the plaintiff stating that if in future it is necessary the plaintiff may be given liberty to file fresh suit. Since opposite party has not objected to the petition, hence, conditional withdrawal is hereby allowed. O/C to deposit record to DRR Daltonganj.	

(Dict.)

Shikha Agrawal
Civil Judge(Jr. Divn.)-I
Daltonganj



In, The court of the Civil Judge(junior Division)-I
Palamu at Jaltonganj.

Original suit no.-115/2019

Bhola Mahto and others -- Plaintiffs.

Versus

Mukhdeo Yadav and others -- Defendants.

The humble petition u/o XXIII read with
section 151 of the C.P.C. on behalf/of
the plaintiffs is as follows-

1- That the parties to the suit have already settled the
matter /dispute between them for the suit land out of the
court and at present there is no dispute between the par-
-ties relating to the suit land.

2- That ,so the plaintiffs now does not want to further
proceed with the suit so this petition for withdrawal of
the suit is being filed by the plaintiffs.

3- That this is a partition suit, so the plaintiffs
pray
also ~~say~~ to the your honour court to grant liberty to



K. V.
27/04/2019



पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज

[Signature]
अध्यक्ष

[Signature]
कोषाध्यक्ष

[Signature]
महासचिव

क्रमांक- 1/J 8282

file another suit in future, if any occasion or need will arise.

- 4- That this suit is at initial stage and upto now the defendants have not filed their written statement also.
- 5- That the other grounds shall be urged at the time of hearing.

It is, therefore, prayed that your honour may be pleased to dismiss the suit as withdrawn with a liberty to file the suit in future if needed in the light of the above submissions and for the ends of justice.



And for this the plaintiffs shall ever pray.

म. लक्ष्मी कर्

Verification



म. लक्ष्मी कर्

We, Bhola Mahto, Kabutari kuer do hereby declare that the contents of this petition have been drafted on our instru-

क्रमांक- 1/J

8283



पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

महासचिव

h



actions which has been read over and well explained to us
 in hindi is true and correct to the best of our knowledge,
 information and belief.

Book No. 1/E 3668
 Serial No. 3637
 Dated 27/11/2022



Affidavit

नमो कोला महारा
 न. क. उ. त. र. के. के. के.

I, BHOLA MAHTO s/o, /o LATE TULSI MAHTO
 aged about 80 years resident of village- KACHANPUR
 P.O. and P.S.- Chhatterpur, Distt-Palamu do hereby
 solemnly affirm and declare as follows-



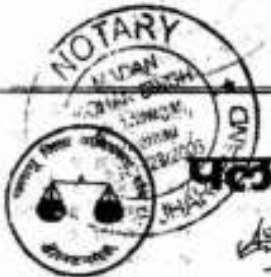
27/11/2022

1- That I am plaintiff no.- in this suit and I am
 fully acquainted with the facts and circumstances of the
 case.

2- That the contents of this petition have been drafted

क्रमांक- 1/J 8284

पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज



अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

महासचिव

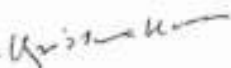
13

on my instruction which has been read over and well explained to me in hindi is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Deponent.  श्री कोला अहमद

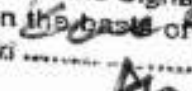
The deponent is identified by me and he/she has signed in my presence.


Advocate.

The above named deponent is identified by Sri 
Advocate has solemnly affirmed before me that the contents of this affidavit are true and correct to the best of his/her knowledge and belief.




07/07/2022

Attested the Signature of the Deponent
of on the basis of information
of Sri  Advocate

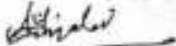
Mr. A. Mohan Singh
Notary Public
Bharatpur, Haryana

Typed by- Vijay Pd.



पलामू जिला अधिवक्ता संघ, डालटनगंज

क्रमांक- 1/J 8285


अध्यक्ष


कोषाध्यक्ष


महासचिव